न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 156/2011/ जिला–अजमेर

श्रीमति गौरी पत्नी सोहनलाल जाति रावत निवासीग्राम ल्यालीखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

———अपीलांट्स

बनाम

1. कैली बेवा हरजी
2. गोपी पुत्र हरजी
3. शौकीन पुत्र हरजी
4. सोहनी पुत्री हरजी
5. गीता बेवा नानू
6. शेखू पुत्र नानू
7. बरजी बेवा नौरत
8. कालू पुत्र नौरत । नाबालिग पुत्र जरिये माता बरजी बेवा नौरत
9. राजु पुत्र नौरत ।
10. सोहन पुत्र सरदारा
11. रामकरण पुत्र सरदारा
12. बीला उर्फ विमला पुत्री सरदारा
13. सांवरा पुत्र गंगाराम

    समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम ल्यालीखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलेक्टर, अजमेर दिनांक 15–03–2011
अपील संख्या 60/2010 बउनवान गौरी बनाम हरजी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री राजेन्द्र सिंह रावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11

निर्णय

दिनांकः– 26.09.2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ल्यालीखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 209 रकबा 5–6–00 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 7–16–10 बीघा,

खसरा नम्बर 217 रकबा 5–05–00 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 1–4–00 बीघा, खसरा नम्बर 519 रकबा 5–05–00 बीघा, खसरा नम्बर 535 रकबा 4–00–00 बीघा कुल किता 6 व कुल रकबा 28–16–10 बीघा आराजी की खातेदार काश्तकार चनणी बेवा उदा जाति रावत थी जिसका दिनांक 4–3–2005 को नाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। चनणी की सम्पूर्ण सेवा चाकरी अपीलांट ने की थी जिससे प्रसन्न होकर विवादग्रस्त आराजियात की खातेदार चनणी बेवा उदा ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 29–9–2004 को अपीलांट के हक में रूबरू गवाहान कर दिया था जो नोटेरी से तस्दीक है। उक्त वसीयतनामें पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 सोहन पुत्र सरदारा व 12 बीला उर्फ विमला पुत्री सरदारा के बतौर गवाह हस्ताक्षर है। स्वयं रेस्पोन्डेन्ट की जानकारी में होने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आपको चनणी बेवा उदा का नजदीकी विधिक वारिसान बताकर नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 रेस्पोन्डेन्ट ने अपने नाम गैर कानूनी रूप से तस्दीक करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–3–2011 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर तहसीलदार, पीसांगन द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 निरस्त कर दोनों पक्षों को मृतका की कृषि भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ एवं गरीब काश्तकार महिला है जो कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ है। प्रार्थीया की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष चल रही थी। प्रार्थीया अपने अभिभाषक से प्रकरण की जानकारी करने आई तब अभिभाषक द्वारा अवगत कराया कि उक्त अपील का दिनांक 15–3–2011 को निर्णय हो चुका है तथा उक्त निर्णय की नकल अभिभाषक ने पूर्व में ले रखी थी जो प्रार्थीया को दे दी। प्रार्थीया ने अपने गांव जाकर फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आकर अधिवक्ता से मिलकर सलाह मशविरा कर अपील पेश की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं

विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात की रेकार्डेड खातेदार काश्तकार चनणी बेवा उदा रावत थी उक्त रेकाडेर्ड खातेदार ने अपने जीवनकाल में रूबरू गवाहन जरिये वसीयत दिनांक 20–9–2004 को अपीलांट के हक में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 व 12 के समक्ष कर दी थी अर्थात विवादग्रस्त आराजियात पर चनणी बेवा उदा के स्वर्गवास दिनांक 4–3–2005 के पश्चात अपीलांट बतौर वसीयती वारिस काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलांट के अशिक्षित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण अपने हक में तस्दीक करवा लिया। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करवाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया जबकि 45 दिवस में सुनवाई का क्षैत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को था। अतः तहसीलदार, पीसांगन द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 क्षैत्राधिकार विहिन होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, पीसांगन के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र पर सुनवाई सुनिश्चित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सम्मन जारी नहीं किया एव ना ही किसी व्यक्ति की साक्ष्य ही ली गई जबकि वास्तविकता यह है कि चनणी बेवा उदा नाऔलाद फौत हुई थी विरासत तस्दीक करने से पूर्व तहत न्यायालय को सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जबकि विवादग्रस्त आराजियात पर चनणी बेवा उदा काबिज काश्त थी एवं उक्त खातेदार के स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट काबिल काश्त चली आ रही है। विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जे काश्त की जांच किये बिना ही रेस्पोन्डेन्ट को अवांछित लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त आदेश पारित किया है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर ने नामांन्तरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 को निरस्त कर दिया किन्तु पक्षकारान को मृतक की कृषि भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलांट वसीयत के आधार पर मृतक चनणी बेवा उदा की चल व अचल सम्पत्ति की मालिक एवं उत्तराधिकारी है। मृतक खातेदार काश्तकार चनणी बेवा उदा द्वारा अपीलांट के हक में चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत की जा चुकी थी जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करना चाहिए था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक

15–3–2011 निरस्त किया जाकर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण अपीलांट के हक में तस्दीक करवाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतका चनणी बेवा उदा के नाऔलाद फौत होने पर उनके निकटतम वारिसान के संबंध में जांच करवाकर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा मृतका की वसीयत लगभग 4 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि मृतका की स्वअर्जित भूमि नहीं थी बल्कि पैतृक सम्पत्ति थी जिसकी वसीयत करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपीलांट का यह कथन गलत है कि तहसीलदार पीसांगन ने क्षैत्राध्किाार सेबाहर जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। पहले 45 दिवस में नामान्तरकण स्वीकृत करने का क्षैत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण विवादास्पद होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत स्वीकृत किया है जो न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। विवादग्रस्त आराजियात वर्किंग जमाबंदी में सरदारा व हरजी व उदा पिसरान लादू के नाम खातेदारी में दर्ज थी। पुश्तैनी संयुक्त भूमि की वसीयत चनणी बेवा उदा द्वारा अकेले नहीं की जा सकती है। पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी पक्षकारो का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक के वारिसानों को श्रेणीवार वर्गीकृत किया हुआ है। तहसीलदार पीसांगन द्वारा मृतका के विधिक वारिसानों की पूर्ण जांच नहीं कर विधिविरूद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमति गौरी द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 25–9–2004 को सन्देहास्पद बताया है जिसे रेस्पोन्डेन्ट सक्षम न्ययालय में चुनौति देकर निरस्त करने हेतु स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को कृषि भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के आदेश दिये है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण तहसीलदार पीसांगन को विवादग्रस्त आराजियात के विधिक पक्षकारों की जांच कर उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अपर जिला कलक्टर) अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–03–2011 अन्तर्गत अपील

संख्या 60/2010 बउनवान श्रीमति गौरी बनाम हरजी व अन्य तथा तहसीलदार, पीसांगन द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, पीसांगन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजियात से संबंधित विधिक वारिसानों की नये सिरे से जांच कर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर